BIHAR PRISONERS (PAROLE) RULES, 1973

बिहार कैदी (अस्थायी निर्मुक्ति) नियमावली, 1973

सं० जी० पी० आई०-24-मिस० 1-74-10732-जेल दिनांक 2 दिसम्बर 1974.—कैदी (बिहार संशोधन) अधिनियम 1956 (बिहार अधिनियम 23, 1956) की धारा 31 (ङ०) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(1) यह नियमावली बिहार कैदी (अस्थायी निर्मुक्ति) नियमावली 1973 कही जा सकेगी।

(2) यह सम्पूर्ण बिहार राज्य पर लागू होगी और तुरंत प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएं—(1) जबतक कोई बात विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो, इस नियमावली में,—

(क) "बोर्ड" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 31 (क) के अधीन गठित पैरोल बोर्ड;

(ख) "फारम" से अभिप्रेत है इस नियमावली से उपाबद्ध फारम;

(ग) महानिरीक्षक से अभिप्रेत है कारा महानिरीक्षक, बिहार;

(घ) "अधीक्षक" से अभिप्रेत है उस जेल का अधीक्षक जिस जेल में कैदी, जिसकी निर्मुक्ति इस नियमावली के अधीन विचाराधीन है, परिरूद्ध हो; और

(ङ) "अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार में यथाप्रवृत्त कैदी अधिनियम, 1900 (3, 1900);

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त और अपरिभाषित, किन्तु अधिनियम या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, 1958 (20, 1958) या कारा अधिनियम, 1894 (9, 1894) या बिहार जेल हस्तक में परिभाषित शब्दों और पदों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो अर्थ उनपर उल्लिखित अधिनियम और हस्तक में उनके लिये दिये गये हैं।

3. पैरोल बोर्ड—(1) अधिनियम की धारा 31-क के अधीन गठित पैरोल बोर्ड (इसमें आगे बोर्ड के रुप में निर्दिष्ट) साधारण तया हरेक तीन महीने पर संबद्ध जेल कार्यालय में बैठक करेगा और कैदियों से साक्षात्कार कर सकेगा।

(2) "जिला मजिस्ट्रेट" पैरोड बोर्ड का अध्यक्ष होगा।

(3) अध्यक्ष या, उसकी अनुपस्थिति में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने बीच से निर्वाचित कोई व्यक्ति सभापतित्व करेगा।

(4) अधीक्षक बोर्ड का पदेन सचिव और उसकी बैठकों का संयोजक होगा।

(5) बोर्ड की बैठक का कोरम तीन सदस्यों का होगा।

(6) बोर्ड का सदस्य होने के लिए राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित राज्य विधान-मंडल के सदस्यों की पदावधि वही होगी जो राज्य विधान-मंडल में उनकी सदस्यता की पदावधि है और उनके द्वारा बोर्ड की सदस्यता का पदत्याग किये जाने पर या विधान-मंडल का सदस्य न रह जाने पर होनेवाली रिक्ति, अधिनियम की धारा 31-क के अधीन नाम निर्देशन द्वारा भरी जायगी।

(7) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित उपशासकीय सदस्यों को, बोर्ड की बैठकों में हाजिर होने के लिये नियमों के अधीन प्रथम श्रेणी के पदाधिकारियों को अनुज्ञेय यात्रा और विराम-भत्ता दिया जाएगा।

4. अस्थायी निर्मुक्ति के लिये आवेदन—कैदी अधिनियम के अधीन अस्थायी निर्मुक्ति के लिये फारम I में दो प्रतियों में आवेदन करेगा और अधीक्षक के पास भेजेगा।

5. अस्थायी निर्मुक्ति के आवेदन की छानबीन और सत्यापन—(1) अधीक्षक अस्थायी निर्मुक्ति के लिए आवेदन करनेवाले कैदी के अभिलेखों की स्वयं जांच करेगा और अपना समाधान कर लेगा कि कैदी अधिनियम के अधीन अस्थायी निर्मुक्ति का पात्र है। वह इस संबंध में भी अपना समाधान कर लेगा कि कारागार में कैदी का आचरण अच्छा रहा है।

(2) जो कैदी कारा अधिनियम, 1894 (9, 1894) के अधीन बनाये गये उस समय प्रवृत्त नियमों के अधीन, अस्थायी निर्मुक्ति के आवेदन की तारीख के पूर्व बारह मास से पूर्ण साधारण छूट का हकदार हो चुका हो उसके बारे में अधिनियम के प्रयोजनार्थ यह माना जायेगा कि कारा में उसका आचरण एक समान अच्छा रहा है।

(3) ऐसे किसी भी कैदी पर, जिसे किसी न्यायालय के समक्ष आरोप का उत्तर देना हो, या जिसकी अपील लंबित हो, अस्थायी निर्मुक्ति के लिये विचार नहीं किया जायगा।

(4) किसी अन्य राज्य के न्यायालय या सेना न्यायालय द्वारा सिद्धदोष ठहराये गए किसी कैदी पर अस्थायी निर्मुक्ति के लिये विचार नहीं किया जायेगा।

(5) कैदी के आवेदन की नामंजूरी के छः महीने के भीतर पैरोल पर अस्थायी निर्मुक्ति के लिए कोई भी नया आवेदन अधीक्षक द्वारा अभिलिखित किये जाने वाले विशेष कारणों से ग्रहण किये जाने के सिवाय अन्यथा ग्रहण नहीं किया जायगा।

(6) यदि कैदी अधिनियम की धारा 31(ग) के अधीन अस्थायी निर्मुक्ति के निमित्त किए जाने के लिए फारम 1 में अधीक्षक के पास पहली बार आवेदन करे तो वह उसकी प्रति कैदी द्वारा दी गयी विशिष्टियों के सत्यापन के लिये संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक के माध्यम से उस थाने के प्रभारी पदाधिकारी के पास देगा जिसकी अधिकारिता के भीतर समुचित जांच की जानेवाली हो :

परन्तु कैदी द्वारा उपर वर्णित अपने आवेदन के पूर्व लगातार तीन वर्षों तक कारावास भुगतने के बाद, उनपर उल्लिखित सत्यापन आवश्यक नहीं होगा, जबतक कि उसने अधिनियम की धारा 31(ग) के परन्तुक मे वर्णित प्रकार का अपराध न किया हो अन्यथा इस प्रकार उसे उसके अधीन अस्थायी निर्मुक्ति की मंजुरी सरकारी आदेश से ही दी जा सकती हो।

(7) अधीक्षक धारा 31 (ख) के अधीन अस्थायी निर्मुक्ति के पात्र आवेदकों के सभी आवेदन यथा-शीघ्र बोर्ड के समक्ष रखेगा और ऐसे मामले (केस) कारा महानिरीक्षक के पास भेज देगा जिनपर अधिनियम की धारा 31 (ग) के अधीन अस्थायी निर्मुक्ति के लिये विचार किया जा सकता हो। कारा महानिरीक्षक के पास आवेदन भेजने के पहले, अधीक्षक, अपना समाधान कर लेगा कि कैदी अस्थायी निर्मुक्ति के लिये विचार किये जाने का पात्र है और उसके साथ पूर्वगामी कंडिका में यथोपेक्षित थाने के प्रभारी पदाधिकारी से प्राप्त सत्यापन रिपोर्ट संलग्न कर देगा।

6. निर्मुक्ति के लिए विशेष कारण—(1) अधिनियम की धारा 31 (ख) के अधीन अस्थायी निर्मुक्ति प्रभावी की जा सकती है भले ही कैदी ने उसकी मंजूरी के लिये विशेष कारण नहीं दिये हों।

(2) जिन विशेष कारणों से कैदी को अधिनियम की धारा 31 (ग) के अधीन अस्थायी निर्मुक्ति की मंजूरी दी जा सकती है, वे निम्नलिखित है :—

(क) कैदी के माता-पिता, पत्नी (या पति) या बच्चे की गंभीर-बीमारी या मृत्यु;

(ख) कौटुम्बिक संम्पति और मामले से संबंधित समस्याओं का निपटारा करना;

(ग) अपने पुत्र या पुत्री का विवाह और अनिवार्य धार्मिक तथा सामाजिक संस्कारों का संपन्न किया जाना, तथा

(घ) भावी नियोजक से साक्षात्कार करना;

(3) (क) यदि अस्थायी निर्मुक्ति का आदेश अधिनियम की धारा 31(ग) के अधीन विशेष कारणों से दिया गया हो, राज्य सरकार या निर्मुक्ति का आदेश करनेवाला प्राधिकारी, यह निर्देश दे सकेगा कि निर्मुक्ति के आधार सहित मामले के तथ्य और उसके साथ कैदी द्वारा अपनी निर्मुक्ति अवधि में किये गए आचारण की रीति उस क्षेत्र पर अधिकारिता का प्रयोग करनेवाले परिवीक्षा पदाधिकारी द्वारा सत्यापित की जाएगी जिस क्षेत्र का कैदी हो।

(ख) यदि यह पाया जाय कि कैदी द्वारा निर्मुक्ति के लिये दिये गये आधार सही नहीं थे या उसने निर्मुक्ति के समय द्वारा दिये गये परिवचन से भिन्न रीति से आचरण किया है तो कैदी कारा अधिनियम सं० 8, 1894 में, यथा अधिकथित बड़े दंड का भागी होगा।

7. अधिनियम के अधीन अस्थायी निर्मुक्ति का आदेश करने के लिये नियमों के अधीन सक्षम प्राधिकारी का अन्तिम आदेश—(1) यदि प्रधान परिवीक्षा पदाधिकारी द्वारा सम्यक् रूप से सत्यापित फारम I में कोई आवेदन प्राप्त होने पर सरकार या समुचित प्राधिकारी कैदी की अस्थायी निर्मुक्ति लोक हित में अवांछनीय समझें तो आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाय और अधीक्षक कैदी को सूचित करेगा कि उसका आवेदन इस तरह अस्वीकृत कर दिया गया है।

(2) दूसरी ओर, यदि ऐसा समझा जाए कि आवेदन लोक हित को हानि पहुँचाए बिना मंजूर किया जा सकता है तो सरकार या समुचित प्राधिकारी विहित फारम 3 में कैदी की अस्थायी निर्मुक्ति का आदेश जारी करेगा।

(3) अस्थायी निर्मुक्ति का आदेश करते समय ऐसी शर्तें अधिरोपित की जा सकेगी जो आवश्यक समझी जाए, जिसमें यह शर्त भी शामिल है कि कैदी प्रतिभूओं सहित या उसके बिना बंध-पत्र निष्पादित करेगा और अपनी अस्थायी निर्मुक्ति की अवधि के दौरान किसी परिवीक्षा पदाधिकारी या अन्य ऐसे व्यक्ति के पर्यवेक्षण में रहेगा जिसे निर्मुक्ति आदेश करने वाला पदाधिकारी उपयुक्त समझे।

(4) बंध-पत्र की रकम और उसके प्रतिभूओं की संख्या और नाम विनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे, जो राज्य सरकार या समुचित प्राधिकारी द्वारा अपने निर्मुक्ति आदेश में ऐसी शर्तें अधिरोपित की जाने पर कैदी के निर्मुक्ति किये जाने के पहले फारम 2 में निष्पादित किया जायेगा।

(5) निर्मुक्ति आदेश उसमें अन्तर्विष्ट शर्तें सहित अधीक्षक के पास भेजा जायगा और उक्त आदेश की प्रतियां उन जिलों के जिला मजिस्ट्रेट और प्रधान परिवीक्षा पदाधिकारी के पास, जिनमें वे स्थान स्थित हो जहां कैदी जा सकता हो, भेजी जाएँगी। साथ ही, उक्त आदेश की प्रतियां उस जिले के जिला मजिस्ट्रेट और प्रधान परिवीक्षा पदाधिकारी के पास भी भेजी जाएगी जिस जिले में कैदी दोषसिद्ध ठहराया गया हो।

8. निर्मुक्ति की तारीख—(1) अस्थायी निर्मुक्ति आदेश प्राप्त होने पर अधीक्षक कैदी के परामर्श से उसकी अस्थायी निर्मुक्ति की तारीख नियत करेगी जो आदेश प्राप्त होने की तारीख से साधारणतः चार महीने से बाद की न होगी।

(2) महिला कैदी की दशा में, उसकी अस्थायी निर्मुक्ति की तारीख इस तरह नियत की जाएगी जिससे उस स्थान के निकटतम जेल में उसके अन्तरण के लिए समय मिल सके जिस स्थान में वह अपनी अस्थायी निर्मुक्ति के दौरान रहना चाहती हो।

(3) यदि जिस कैदी के सम्बन्ध में अस्थायी निर्मुक्ति का आदेश जारी किया गया हो वह बीमार हो, तो अधीक्षक उसकी अस्थायी निर्मुक्ति की तारीख उतने समय तक के लिए स्थगित कर सकेगा, जितना समय जेल का चिकित्सा पदाधिकारी कैदी की बीमारी से चंगा होने के लिए आवश्यक समझे।

(4) अधीक्षक किसी कैदी को निर्मुक्ति करने के पहले कैदी और उसके प्रतिभूत द्वारा, यदि कोई हो, फारम 2 में सम्यक् रूप से बंध-पत्र निष्पादित करा लेगा।

9. अस्थायी निर्मुक्ति के आदेश का रद्दकरण—(1) यदि कैदी निर्मुक्ति के आवेदन की तारीख और नियम 8 के अधीन उसकी अस्थायी निर्मुक्ति के लिए नियत तारीख के बीच औपचारिक चेतावनी द्वारा दंडित होनेवाले अपराध से भिन्न कोई जेल अपराध करे, तो अधीक्षक, राज्य सरकार या उचित प्राधिकार को इस बात की रिपोर्ट करेगा, जो उसके बाद अस्थायी निर्मुक्ति का आदेश रद्द कर सकेगा।

(2) ऐसे रद्दकरण होने पर अपराध करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के दौरान अस्थायी निर्मुक्ति के लिए कैदी का कोई और अनुरोध ग्रहण नहीं किया जायगा।

10. जिला मजिस्ट्रेट को निर्मुक्ति की सूचना—जब कोई कैदी इस नियमावली के अधीन अस्थायी रूप से निर्मुक्त किया जाए, तो अधीक्षक, कारा महानिरीक्षक तथा संबंधित जिला मजिस्ट्रेट और प्रधान परिवीक्षा पदाधिकारी को कैदी के जेल छोड़ने की तारीख और जेल में उसके वापस आने की नियत तारीख की रिपोर्ट तुरंत करेगा।

11. निर्मुक्ति प्रमाण-पत्र—कैदी के जेल छोड़ने के समय अधीक्षक उसको दो प्रतियों में तैयार किया जाने वाला फारम 4 में अस्थायी निर्मुक्ति प्रमाण-पत्र देगा, जिसे कैदी जेल में लौटने पर अधीक्षक को दे देगा। उक्त प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति जेल अभिलेख में रख ली जाएगी।

12. यात्रा के दौरान यात्रा और जीवन निर्वाह भत्ता—(1) जब कोई कैदी अधिनियम के अधीन अस्थायी रूप से निर्मुक्त किया जाए तब उसे अपनी अस्थायी निर्मुक्ति की अवधि के लिए आहार खर्च नहीं दिया जाएगा।

(2) यदि ऐसी कैदी के पास जेल से जाने और लौटने का खर्च चुकाने के लिए पर्याप्त धन या अर्जित मजदूरी न हो तो उसे निम्नलिखित दिया जायगा :—

(क) रेलवे जमा-पत्र पद्धति पर उसके निवास-स्थान से निकटतम रेलवे या स्टीमर स्टेशन तक जाने और आने के लिए सबसे निचली श्रेणी का निःशुल्क पास;

(ख) यदि यात्रा या यात्रा का भाग नौका या बस अथवा नौका और बस द्वारा पूरा किया जाने वाला हो तो जेल से जाने और लौटने के लिए यथास्थिति, नौका भाड़ा या बस-भाड़ा अथवा नौका और बस-भाड़ा;

(ग) सड़क से की जानेवाली यात्रा के निर्मित हरेक पन्द्रह मील या उसके भाग के लिए जिसके लिए कोई नहीं दिया गया हो, 50 पैसे की दर से, जेल से ऐसे कैदी के निवास-स्थान तक यात्रा के लिए निर्वाह-

(घ) रेल, स्टीमर, नौका या बस से हरेक दिन या उसके भाग की यात्रा के लिए उसी दर से निर्वाह भत्ता

13. यदि कैदी का घर जेल से 5 मील के भीतर स्थित हो या कैदी के पास जेल से जाने और आने की यात्रा के लिए पर्याप्त धन या मजदूरी हो तो ऊपर खंड (ग) और (घ) में वर्णित निर्वाह-भत्ता देय नहीं होगा।

14. *जेल की वस्तुओं का उधार दिया जाना*—(1) यदि किसी कैदी के पास निजी (प्राइवेट) वस्त्र और हो और वह उसे खरीदने में असमर्थ हो, तो उसे निर्मुक्ति के समय सामान्यत: कारा से बाहर व्यवहत होनेवाला सामान्य कंबल, धोती या पाजामा और कुर्त्ता उधार दिया जायगा।

(2) ये वस्तुए फारम 4 में दिये गए उसके अस्थायी निर्मुक्ति प्रमाण-पत्र में दर्ज कर ली जाएंगी और कैदी जेल उन्हें वापस लेता आएगा।

15. निर्मुक्ति की शर्तें कैदी को समझा दी जाएंगी—कैदी के जेल छोड़ने से पहले, जेल का कोई अधीक्षक की उपस्थिति में, उसको निर्मुक्ति की शर्तें समझा देगा।

(2) उसे उसी समय उस तारीख की सूचना भी दे दी जाएगी जिस तारीख को उसे जेल लौटना है और यदि करने में असफल रहेगा तो कोई भी पुलिस पदाधिकारी उसे बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगा और उसकी सजा की अवधि काटने के लिए जेल को सुपुर्द कर सकेगा। अस्थायी निर्मुक्ति की अवधि उसकी सजा की कुल अवधि में नहीं गिनी वह अधिनियम की धारा 31-घ के अधीन भी दंडनीय होगा।

16. स्थानीय पुलिस की रिपोर्ट—(1) फारम 3 में दिये गए अस्थायी निर्मुक्ति के आदेश में वह स्थान या वे स्थान रहेंगें जहां कैदी अपनी अस्थायी निर्मुक्ति की अवधि के दौरान जा सकेगा या रह सकेगा।

(2) कैदी को फारम 3 में दिये गए निर्मुक्ति आदेश में उल्लिखित स्थानों से भिन्न स्थानों में जाने की स्वतंत्रता

(3) जिस स्थान पर वह रहना चाहता है उस स्थान पर पहुँचने के चौबीस घंटे के भीतर कैदी अपने पहुँचने की *स्थानीय थाने के प्रभारी पदाधिकारी को दे देगा। उसी प्रकार वह अपने जाने की सूचना देगा।*

17. कैदी के नहीं लौटने पर की जानेवाली प्रक्रिया—(1) जो कैदी अपने लौटने की नियत तारीख को तालाबंदी के पहले जेल में वापस नहीं लौटे, तो वह भागा हुआ कैदी समझा जाएगा।

(2) अधीक्षक ऐसे निकल भागने की सूचना, कैदी की विवरण नामावली उसके प्रार्थित पता और उन स्थानों के पते, वह अपनी अस्थायी निर्मुक्ति के दौरान जाना चाहता था, तथा ऐसी अन्य उपलब्ध जानकारी के साथ, जिससे उसकी गिरफ्तारी सुविधा हो, संबंधित मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक, को तुरंत देगा और उसकी प्रति महानिरीक्षक को भी भेज देगा।

18. नियत तारीख के बाद जेल लौटना—जब कैदी अपने लौटने की नियत तारीख के बाद स्वेच्छा से जेल लौट तो उसे जेल में ले लिया जाएगा और लौटने में विलम्ब के कारणों सहित उसके लौटने की रिपोर्ट उन प्राधिकारियों के पास भेज दी जाएगी जिन्हें नियम 17 के अधीन उसके निकल भागने की सूचना दी गयी हो।

19. महिला कैदियों की निर्मुक्ति—(1) जब किसी महिला कैदी को अस्थायी रूप से निर्मुक्त करना आशयित हो वह पहले उस स्थान से निकटतम जेल में अन्तरित की जाएगी जिस स्थान पर वह अपनी अस्थायी निर्मुक्ति के दौरान रहना चाहती हो।

(2) वह उस जेल से निर्मुक्त की जाएगी जहां वह इस प्रकार अन्तरित की गयी हो और वह अपने लौटने की नियत तारीख तक उसी जेल में लौट आएगी।

(3) जिस जेल से वह उप-नियम (1) के अधीन जेल में अंतरित की गयी हो उसका अधीक्षक उसके घर के पते पर ऐसे संबंधियों, मित्रों या शुभेच्छुओं को जिन्हें उसने नाम निर्देशित किया हो, उसका निर्मुक्ति की तारीख की तुरत सूचना देगा ताकि वे उसे लेने आ सकें और यदि वह 25 वर्ष से कम उम्र का हो और उसके बहकाये जाने की संभावना हो तो वह किसी महिला वार्डर, यदि जेल से संबद्ध कोई महिला वार्डर हो, या किसी संभ्रान्त महिला, जिसे उसे पहुँचाने का भार सौंपा गया हो, के प्रभार में अपने घर भेजी जाएगी।

(4) यदि अनुरक्षिका सरकारी सेवक हो तो उसे दौरे पर की गयी यात्रा, के लिए दिये जानेवाले यात्रा-भत्ता की दर से यात्रा-भत्ता दिया जाएगा और यदि वह सरकारी सेवक नहीं हो तो वह जेल से जाने और जेल तक आने की यात्रा के वास्तविक खर्च की हकदार होगी।

फारम I

(नियम 4 द्रष्टव्य)

अस्थायी निर्मुक्ति के लिए आवेदन।

सेवा में,

जेल अधीक्षक.

... ...

1. मैं (नाम) ... ..., कैदी संख्या... ... ... कैदी (बिहार संशोधन) अधिनियम, 1956 के अधीन... ... ... दिनों की अस्थायी निर्मुक्ति के लिए आवेदन करता हूँ।

2. जिस विशेष कारण (पूरी विशिष्टियां और आधारों के समर्थन में उपलब्ध दस्तावेज दें) से मैं यह अनुरोध करता हूँ। वह यह है—

अभ्युक्ति (यहां आधार आदि के लिए पर्याप्त स्थान छोड़ें)।

3. मुझे कैद की अपनी वर्त्तमान अवधि के दौरान निम्नलिखित अवसरों पर अधिनियम के अधीन अस्थायी निर्मुक्ति मंजूर की गई है :—

जेल, जिससे निर्मुक्ति किया गया।	निर्मुक्ति की तारीख।	वापस लौटने की तारीख।	विशेष कारण यदि कोई हो, जिसके लिए निर्मुक्ति मंजूर की गयी।

4. मेरा स्थायी घर (ग्राम/नगर)... ... ... डाकघर... ... ... थाना... ... ... जिला... ... ... स्टेशन... ... ... में स्थित है।

5. मैं अपना नाम से परिवार के अन्य सदस्यों के साथ निम्नलिखित अचल सम्पति का स्वामी हूँ और वह मेरे कब्जे में है।

6. मेरे परिवार में निम्नलिखित सदस्य है जो सम्पत्ति नीचे प्रत्येक के सामने उल्लिखित स्थानों में रहते हैं :—

संबंध।	उम्र।	पेशा।	वर्त्तमान।	निवास स्थान।
(1)				
(2)				
(3)				

7. जिस अपराध की सजा मैं अभी भुगत रहा हूँ उससे भिन्न निम्नलिखित अपराधों का आरोप मुझ पर लगाया गया या उनके लिए दंडादेश दिया गया है। जिस अपराध की सजा मैं अभी भुगत रहा हूँ उससे भिन्न किसी अपराध का आरोप मुझ पर नहीं लगाया गया है या उसके लिए दंडादेश नहीं दिया गया है :—

8. जिन परिस्थितियों के अधीन मुझे सज़ा दी गई है और जिसे मैं भुगत रहा हूँ वे निम्नलिखित थीं (यदि निर्णय की प्रति उपलब्ध हो, तो उसे संलग्न कर दें) :—

9. मेरी अपील... ... ... किसी न्यायालय के समक्ष लंबित है। लंबित नहीं है।

(1) मुझे धारा... ... ... /किसी भी धारा के अधीन किसी न्यायालय, के समक्ष अन्य आरोप (चार्ज) का उत्तर देना है। नहीं देना है।

10. यदि अस्थायी निर्मुक्ति मंजूर की गई तो उस अवधि में मैं निम्नलिखित स्थान में रहूँगा :—

ग्राम/नगर... ... ... डाकघर... ... ... थाना... ... ... जिला... ... ... और निम्नलिखित स्थानों पर जाना चाहता हूँ :—

(1)

(2)

11. निम्नलिखित व्यक्ति मेरे लिए प्रतिभू हो सकेंगे :—

(1) नाम... ... ...

पेशा... ... ...

पता... ... ...

ग्राम/नगर... ... ...

डाकघर... ... ...

थाना... ... ...

(2) नाम... ... ...

पेशा... ... ...

पता... ... ...

ग्राम/नगर... ... ...

डाकघर... ... ...

थाना... ... ...

तारीख... ... ...

हस्ताक्षर/बांए अंगूठा का निशान

अधीक्षक की अभ्युक्ति।

(जो विशिष्टियां लागू नहीं हो उन्हें काट दें।)

भाग 2

1. ऊपर के आवेदन में उल्लिखित बातों पर थाने के प्रभारी पदाधिकारी का निष्कर्ष—

2. निम्नलिखित के सम्बन्ध में थाने के प्रभारी पदाधिकारी की राय—

(क) यदि आवश्यक समझा जाए तो आने-जाने पर विशेष निबंधन;

(ख) निर्मुक्ति की दशा में आवेदक द्वारा प्रस्तुत किये जानेवाले प्रतिभूओं की रकम और संख्या।

(ग) आवेदक द्वारा इसके प्रयोजनार्थ प्रतिभूओं के रूप में नामित व्यक्तियों की उपयुक्तता।

फारम 2

(नियम 8 द्रष्टव्य)

सदाचार के लिए बंध-पत्र

चूँकि मैंने (नाम)... ... ... कैदी संख्या... ... ... जो... ... ... जेल में... ... ... के कारावास की सजा भुगत रहा हूँ, कैदी (बिहार संशोधन) अधिनियम, 1956 के अधीन अस्थायी निर्मुक्ति के लिऐ आवेदन किर है और मुझसे सरकार तथा भारत के सभी नागरिकों के प्रति सदाचार बरतने के लिए बंध-पत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की ग है। इसलिये, अब मैं इसके द्वारा अपने को आबद्ध करता हूँ कि मैं अस्थायी निर्मुक्ति यदि वह मुझे मंजूर की गई, और जेल जाने और आने की अपनी यात्रा की अवधि में सरकार और भारत के सभी नागरिकों के प्रति सदाचार बरतुंगा और ऐसी निर्मुक्ति की शर्तों का पालन करना तथा इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा व्यतिक्रम किये जाने की दशा में, मैं अपने को आबद्ध करता हूँ कि ... ... रु० की रकम सरकार को समपहृत हो जाएगी।

मेरे सामने निष्पादित किया गया।

तारीख ... ... ।

हस्ताक्षर/बाएं अंगूठे का निशान।

अधीक्षक.........जेल।

(जहां प्रतिभू या प्रतिभूओं सहित बंध-पत्र निष्पादित किया जाने वाला हो वहां निम्नलिखित जोड़ें।)

मैं/हम उनपर नामित...............के लिए अपने को प्रतिभू घोषित करता हूँ/करते हैं और यह घोषित करता हूँ/करते हैं कि वह उक्त अवधि के दौरान सरकार और भारत के सभी नागरिकों के प्रति सदाचार बरतेगा तथा अपनी निर्मुक्ति की शर्तों का पालन करेगा और उस सम्बन्ध में उसके द्वारा कोई व्यतिक्रम किये जाने की दशा में, मैं/हम अपने को आबद्ध करता हूँ/करते हैं कि... ... ... रु० की रकम सरकार को समपहृत हो जाएगी।

मेरे सामने निष्पादित किया गया।

तारीख... ... ...

हस्ताक्षर/बाएं अंगूठे का निशान।

अधीक्षक...........जेल।

फारम 3

(नियम 8 और 16 द्रष्टव्य)

अस्थायी निर्मुक्ति का आदेश

सेवा में,

जेल अधीक्षक... ... ... ।

चूंकि... ... ... कैदी सं०... ... ... ने जो... ... ... में कारावास की सजा भुगत रहा है अपनी असथायी निर्मुक्ति के लिए आवेदन किया है;

और चूंकि मैं... ... ... कैदी अधिनियम, 1900 की धारा 31 क की उपधारा (1) के अधीन सशक्त निर्मुक्ति प्राधिकारी होने के नाते संतुष्ट हो गया हूँ कि आवेदन लोकहित को नुकसान पहुँचाये बिना मंजूर किया जा सकता है;

इसलिए अब मैं... ... ... इसके द्वारा आपको प्राधिकृत करता हूँ और आपसे अपेक्षा करता हूँ कि उक्त कैदी को नीचे विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन जेल से जाने-आने की यात्रा के लिए अपेक्षित समय को छोड़कर... ... ... दिनों की अवधि के लिए अभिरक्षा अस्थायी तौर पर निर्मुक्त कर दें।

1. कैदी सरकार और भारत के नागरिकों के प्रति सदाचार बरतेगा।

2. कैदी अपनी अस्थायी निर्मुक्ति की अवधि के दौरान... ... ... थाना... ... ... जिला... ... ... में निवास करेगा।

वह उक्त अवधि के दौरान (यदि कैदी को किन्हीं स्थानों पर जाने की अनुमति दी गयी हो, तो उन्हें निर्दिष्ट करें)... ... ... स्थानों पर जा सकेगा तथा उक्त अवधि के दौरान अन्य किसी भी स्थान पर नहीं जाएगा/जाएगी।

3. कैदी जिस स्थान पर रहना चाहता हो वहां पहुँचने पर चौबीस घंटे के भीतर अपने पहुँचने की सूचना स्थानीय थाने के प्रभारी पदाधिकारी को देगा। वह इसी प्रकार अपने जाने की सूचना देगा।

4. कैदी, उक्त अवधि समाप्त होने पर अपने को... ... ... जेल के अधीक्षक को सुपुर्द कर देगा।

5. कैदी, अपनी निर्मुक्ति के पहले, नीचे वर्णित प्रतिभू प्रस्तुत करेगा/करेगी रकम और प्रतिभूओं की संख्या विनिर्दिष्ट करें।

जिस स्थान पर कैदी अपनी अस्थायी निर्मुक्ति के दौरान रहना चाहता हो/चाहती हो या जाना चाहता/चाहती हो उस स्थान तक, सबसे कम दूरी वाले मार्ग से जाने और वहां से आने की यात्रा के लिए अपेक्षित दिनों की संख्या (अवधि सन्निहित करें)।

हस्ताक्षर कारा महानिरीक्षक,

बिहार।

पटना, तारीख... ... ...

1. कैदी का नाम... ... ... जन्म... ... ... संख्या।

(2)

2. पिता का नाम... ... ... ।
3. घर का पता... ... ... ।
4. पहचान के मुख्य चिन्ह... ... ... ।
5. बायें अंगूठे का निशान... ... ... ।
6. अस्थायी निर्मुक्ति के आदेश की संख्या और तारीख... ... ... ।
7. अस्थायी निर्मुक्ति की तारीख... ... ...
8. जेल लौटने की नियत तारीख... ... ...
9. उधार दी गई जेल की वस्तुओं का वर्णन... ... ...
10. निर्मुक्ति की शर्तें (निर्मुक्ति आदेश में यथा उल्लिखित)... ... ...

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

अधीक्षक

तारीख... ... ...
(जेल की मुहर)